

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2021/4122

दिनांक:- 8 सितम्बर, 2021

-: आ-दे-श :-

- 01 इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था/09/2021/3932 दिनांक 25.08.2021 के द्वारा श्री योगेश धानका शरिस्तेदार ग्रेड-III, न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-10 का न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-8, जयपुर महानगर-प्रथम में किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
- 02 प्रशासनिक कारणों से जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में कार्यरत/पदस्थापित निम्नांकित कर्मचारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
1.	राजेश साम्भरिया शरिस्तेदार ग्रेड-III (स्वयं के निवेदन पर)	ACJ&MM No. 19 (Chaksu HQ)	ACJ&MM No. 8	रीडर ग्रेड-III के रिक्त पद पर

नोट:-

- 01 उक्त कर्मचारी को अपना समस्त चार्ज का लेन-देन करा कर (यदि कोई हो तो) नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जाकर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
- 02 उक्त श्री राजेश साम्भरिया का स्थानान्तरण स्वयं के निवेदन पर किया गया है, अतः उन्हें यात्रा भत्ता, योग काल आदि देय नहीं होगा।

20/8
**जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-प्रथम**

क्रमांक : स्था/09/2021/4122

दिनांक:- 8 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम
- 02 संबंधित न्यायालय जयपुर महानगर-प्रथम
- 03 संबंधित कर्मचारी जयपुर महानगर-प्रथम
- 04 सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 05 निजी पत्रावली-संबंधित कर्मचारी
- 06 आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली

20/8
**जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-प्रथम**